फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जयन्तीलाल
जाति जैन
निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपतहसीलदार भावरी

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 74 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपतहसीलदार भावरी को दिनॉक 26.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा के पत्र क्रमांक 181 दिनांक 20.02.2014 द्वारा श्री महेन्द्र पुत्र श्री भीखालाल जोशी निवासी रोहिडा एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रोहिडा को ग्राम रोहिडा में बिना सक्षम अनुमति के अवैध बजरी खनन की अनुमति दी जिसकी जांच पटवारी हल्का रोहिडा ने प्रस्तुत की एवं उक्त जांच पर उपतहसीलदार भावरी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 26.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा के पत्र क्रमांक 181 दिनांक 20.02.2014 द्वारा श्री महेन्द्र पुत्र श्री भीखालाल जोशी निवासी रोहिडा एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रोहिडा को ग्राम रोहिडा में बिना सक्षम अनुमति के अवैध बजरी खनन की अनुमति दी जिसकी जांच पटवारी हल्का रोहिडा ने प्रस्तुत की एवं उक्त जांच पर उपतहसीलदार भावरी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार भावरी को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध [illegible] यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:37:29 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner